न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :— नेहा छीपा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—101/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सगडोलिया कनीराम फाडण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय मोतीबोर का खेड़ा, कालियास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:— श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता वादी)

निर्णय

दिनांक 22.09.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिनांक 16.03.2023 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम रायला पटवार हल्का रायला भू—अभिलेख निरीक्षक रायला तहसील बनेड़ा के आराजी नं. 1014 रकबा 1.3405 है0 व आराजी नं. 4562 रकबा 0.2277 है0 कुल किता 2 रकबा 1.5682 है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित दोनों आराजियात के मध्य राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी नं. 1000/1 रास्ता दर्शाया गया है जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शित अनुसार प्रार्थी की दोनों आराजियात के मध्य से उक्त रास्ता होना दर्शाया गया है। जबकि मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी की दोनों आराजियात जूडी हुई है तथा रास्ता प्रार्थी की आराजी नं. 4562/999 के उत्तर दिशा की तरफ अर्थात् आराजी नं. 4166/998 से सटमा निकला हुआ होकर नक्शे में वर्णित अनुसार रास्ता आराजी नं. 1000/1 स्थित है। इस स्थिति को इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नक्शो में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस प्रकार नक्शा ट्रेस में उक्त अनुसार हुई त्रुटि के कारण नक्शा में रास्ता 1000/1 को मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार अर्थात् जिस प्रकार मौके पर रास्ता स्थित है, उस प्रकार नहीं दर्शाया गया है। इस कारण राजस्व नक्शा ट्रेस में इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित लाल स्याही वाले भाग के स्थान पर रास्ते को अंकित कर उसे दुरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी तहसीलदार बनेड़ा को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बनेड़ा ने उनके पत्रांक/राजस्व/23/416 दिनांक 18.05.2023, से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायला पटवार हल्का रायला भू—अभिलेख निरीक्षक रायला तहसील बनेड़ा के आराजी नं. 1014 रकबा 1.3405 है0 व आराजी नं. 4562 रकबा 0.2277 है0 भूमि किस्म बारानी तृतीय [illegible] फाउण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय मोतीबोर का खेड़ा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के ना[illegible]रेकार्ड में दर्ज है। आराजी नं. 1014 के उत्तर दिशा में लगायत आराजी [illegible] है किस्म गै. मु. रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज मे से रकबा 0.0552 है0 [illegible] रखा है। वर्तमान में मौके पर रास्ता आराजी नम्बर 4562/999 रकबा 0.2277 है0 से निकल रहा है। मौके आराजी नं. 4562/999 में रास्ता लगभग 30 फीट चौड़ा होकर रकबा [illegible]71 है0 आमजन के उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता में आमजन को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.11.06 11:19:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्राप्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने से तहसीलदार बनेड़ा से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बनेड़ा के पत्रांक/938 दिनांक 20.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-

1- ग्राम रायला के आराजी नं. 1000/1 रकबा 0.4679 है0 किस्म गै.मु. बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है।

2- ग्राम रायला के आराजी नं. 1000/1 जिसका मूल आराजी नं. 1000 है जो वर्तमान में आराजी नं. 1000 तीन भागों में बटा हुआ है।
जैसेः- आराजी. नं. 1000 रकबा 0.1770 है0 किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम। आराजी.नं. 4252/1000 रकबा 0.0506 है0 किस्म गै.मु. सड़क (एन.एच)। आराजी नं. 1000/1 रकबा 0.4679 है0 किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम है।

3- मूल आराजी नं. 1000 इसका रकबा पूर्व में निकले ग्राम रायला में एन.एच. की वजह से दो भागों में विभाजित हो गया था, जिसके दोनो तरफ रास्ता किन्तु रास्ते का नम्बर एक ही था। अतः बाद में वक्त सेग्रिगेशन नक्शा और जमाबन्दी को वन टू वन मेपिंग के जरिये रकबा अलग करने नक्शे के अनुसार दोनो अलग-अलग रकबे को जमाबन्दी में दो अलग-अलग नम्बर दिये गये, आराजी नं. 1000 से रकबा तोड़कर आराजी नं. 1000/1 बनाया गया जो वक्त सेग्रिगेशन के समय बना।

4- नायब तहसीलदार रायला के आदेश क्रमांक/326 दिनांक 06.08.2019 की पालना में शुद्धि का नामान्तकरण दर्ज करके जमाबन्दी में उपयुक्त शुद्धि की गई।

प्रकरण में पूर्व में प्रेषित पत्र अनुसार ग्राम रायला के आराजी नं. 4562/999 रकबा 0.2277 है0 भूमि मे से निकल रहा रास्ता लगभग 30 फीट रकबा 0.1171 है0 तथा आराजी नं. 1000/1 किस्म गेमु रास्ता बिलानाम की तरमीम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा बाबत् जवाब प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम रायला के आराजी नं. 1014 रकबा 1.3405 है0 व आराजी नं. 4562 रकबा 0.2277 है0 कुल किता 2 रकबा 1.5682 है0 भूमि के नक्शे व मौके में भिन्नता पायी गयी। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक/प. 3(17)राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु सं. 8 अनुसार "जहां रास्ता खातेदार कृषक के खेत/खातेदारी भूमि से निकलता है एवं कृषक द्वारा निरन्तर उपयोग किया जा रहा है किन्तु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे से भिन्न मौके पर अन्य जगह है तो ऐसी स्थिति में मौके व राजस्व अभिलेख की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में शिविर प्रभारी गुणावगुण के आधार पर विनिश्चित कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कर तरमीम कर सकेगा।" अतः यह उचित है कि राजस्व नक्शे में वादग्रस्त आराजी नं. 1000/1 किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम की तरमीम दुरूस्ती संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रायला के आराजी नं. 1000/1 किस्म गै.मु. रास्ते की तरमीम दुरूस्ती प्रार्थी के खातेदारी आराजी सं. 4562/999 के उत्तरी हिस्से पर अर्थात आराजी नं. 4166/998 से सटमा दर्शित करते हुए संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शे अनुसार राजस्व/ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व नक्शे में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.11.06 11:19:01 IST
Reason: SelfAttested

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा